Attachement 1.6

FORM-II

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated---29-03-2019

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.981 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. in Chamoli district falls within jurisdiction of Gwaldam State village (s) in Tharali tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.981 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of District Magistrate on dated 20.03.2019 at time ...16.00 Hrs...at Chamoli in which application claiming rights in Gwaldam State area measuring 0.981 hect for the Construction of Gwaldam to Center School Motor Road. forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tharali sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...............

Dated:.............

(IAS Swati S. Bhadoriya)
(District Magistrate Chamoli)
जिला अधिकारी
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :– ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, थराली

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...थराली......

उपखण्ड ......थराली...... परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.981 हे0 (हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.981 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.981 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील थराली) की दिनांक ....05-03-19.... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनं अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....परमा नन्द राम...., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ....परमानन्द राम....उपजिलाधिकारी थराली————————अध्यक्ष

2– श्री ....अनिरुद्ध कुमार....उप प्रभागीय वनाधिकारी——————————सदस्य

3– श्री ....विपिन राणा....सहायक समाज कल्याण अधिकारी–सदस्य / सचिव

4– श्री ....श्रीमती कलावती देवी....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——ग्वालदम——————सदस्य

5– श्री ....हरेन्द्र सिंह बिष्ट....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——डॉंगतोली——————सदस्य

6– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ———————————सदस्य

उपजिलाधिकारी थराली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

विनोद कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ... ...
तहसील
जिला चमोली

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ......थराली......परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.981 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – थराली
जनपद – चमोली

उपजिलाधिकारी
थराली

विनोद कुमार
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र ग्वालदम
तहसील
जिला चमोली

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :— ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.981 हे0 सिविल, कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ग्वालदम

तहसील – थराली, जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत ग्वालदम से केन्द्रीय विद्यालय तक मोटर मार्ग हेतु (0.981 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 0.981 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....ग्वालदम........ द्वारा दिनांक 07-12-2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ....ग्वालदम........ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ....
(ग्वालदम) ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Attachement 1.6 (D)

दिनांक 07-12-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहन सिंह बडियारी	मोहन सिंह
2-	गंगा देवी	गंगादेवी
3-	पुष्पा देवी	Pushpa
4-	पान सिंह बडियारी	पानसिंह
5-	दयाल सिंह बडियारी	Dayal Singh
6-	सुरेन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
7-	इन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
8-	हीरा सिंह बडियारी	[illegible]
9.	चन्द्र सिंह बडियारी	[illegible]
10-	हरक सिंह बडियारी	हरकसिंह
11-	धनुली देवी	
12-	केदार सिंह नेगी	
13-	भागवती प्रसाद	[illegible]
14-	रघुवीर सिंह शाह	
15-	दयाल राम	[illegible]

ह0 / –

ग्राम प्रधान